न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

मो० जुनैद बनाम इब्राहिम आदि

किस्म मुकदमा 225 RTA मु. नं0 41 वर्ष 2020

दिनांक	आज्ञा पत्र	
1-10-20	अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर वकील अपीलांट को सुना गया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 62/2020 बउनवानी इब्राहिम वगैरह बनाम अब्दुल सतार आदि में निर्णय दिनांक 18.09.2020 को एक पक्षीय रूप से खसरा नम्बर 298,299,300 मौजा वाके ग्राम नयासर के सन्दर्भ में मौके रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने, जबरन भूमि पर कब्जा ना करें तथा आवेदकगण के हक हिस्से के उपयोग उपभोग तथा कब्जे काश्त में बाधा कारित नही करने की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन का अवलोकन किया गया। इस आवेदन में प्रार्थीगण ने कम संख्या 01 ने विचारण न्यायालय द्वारा वाद प्राथमिक रूप से डिकी करने एवं तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाने की स्वीकारोक्ति की है। विचारण न्यायालय ने इसके उपरान्त भी अपीलांट जो की सहखातेदार है, को सुने बिना एक पक्षीय रूप से अनिश्चित समय के लिये विचाराधीन अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्व पारित कर दी है। विचारण न्यायालय का ऐसा आदेश प्रथम दृष्टया ही विधि सम्मत नही पाया जाता है। ऐसी स्थिति में आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघन पाया जाता है। फलतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर स्वीकार योग्य पाई जाती है। अत अपील अपीलांट इसी स्तर पर स्वीकार कर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 62/2020 बउनवानी इब्राहिम वगैरह बनाम अब्दुल सतार आदि में निर्णय दिनांक 18.09.2020 को एक पक्षीय रूप से खसरा नम्बर 298,299,300 मौजा वाके ग्राम नयासर के सन्दर्भ में मौके रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने, जबरन भूमि पर कब्जा ना करें तथा आवेदकगण के हक हिस्से के उपयोग उपभोग तथा कब्जे काश्त में बाधा कारित नही करने की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त (खारिज) किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों की पालना में आगामी दो माह में उभयपक्ष को सुनकर प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण करें। अहलमद निर्णय की प्रति विचारण न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। (राजवीर सिंह चौधरी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर	